

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-15, मुरादाबाद
लघुवाद नं०-10/2018
अनवर नबाब -----बनाम-----विजय पाल सिंह ।

02-5-2019 :- वाद पुकारा गया । याची, अनवर नबाब मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है । विपक्षी, विजय पाल सिंह की ओर से कोई उपस्थित नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 07-3-2019 द्वारा विपक्षी पर समन की तामीला पर्याप्त माना जा चुका है । विपक्षी की ओर से आज न तो कोई जबाबदाबा/उत्तर पत्र और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में विपक्षी के विरुद्ध लघुवाद की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की जाती है । पत्रावली दिनांक 15-5-2019 को वास्ते साक्ष्य वादी पेश हो ।

(अमित मालवीय)
अपर जिला न्यायाधीश,
कक्ष सं०-15, मुरादाबाद